

कार्यालय निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(युवा)अकाद/निकाशि/11/84-85

दिनांक: 10 अप्रैल, 2012

समस्त प्राचार्य,
राजकीय/ गैर राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय: अक्षय तृतीया ~~बने~~ बाल-विवाह पर रोक के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अक्षय तृतीया ~~बने~~ बाल-विवाह पर रोक के संबंध में छात्र/छात्राओं के माध्यम से समाज में जागृति की भावना उत्पन्न कराई जावे तथा बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत के माध्यम से बाल-विवाह के विरुद्ध समाज में प्रचार-प्रसार करावे। अक्षय तृतीया के अलावा शैक्षणिक सत्र में युवा गतिविधियों के माध्यम से समाज में चेतना लाई जावे।

भवदीय,

निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ 8(युवा)अकाद/निकाशि/11/84-85

दिनांक: 10 अप्रैल, 2012

प्रतिलिपि: सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक: 278 दिनांक: 29.03.2012 के संदर्भ में प्रेषित है।

डा. वीरेंद्र देवर्षि केवसाई ज्योती निदेशालय / मुख्य निदेशालय
की वेबसाइट पर अपलोड करने का काम करें।

डा. निमाजी

संयुक्त निदेशक,

कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर